



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02022023-243370
CG-MH-E-02022023-243370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]
No. 68]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2023/माघ 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023/MAGHA 13, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 2 फरवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,
(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात् -

“(थ) “हरित ऋण प्रतिभूति” (ग्रीन डैट सिक्यूरिटी) का अर्थ है - ऐसी ऋण प्रतिभूति जिसे जारी करके जुटाए गए पैसे (बशर्ते कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तें पूरी की जाएँ) का इस्तेमाल निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजना (परियोजनाओं) [प्रोजेक्ट] और/या आस्ति (आस्तियों) [असेट] के लिए किया जाना हो:

- (i) अक्षय और सतत ऊर्जा, जिसमें शामिल हैं - पवन ऊर्जा, जैव-ऊर्जा, ऊर्जा के ऐसे अन्य स्रोत जिनमें पर्यावरण अनुकूल तकनीक (क्लीन टेक्नोलॉजी) का इस्तेमाल किया जाता है,
- (ii) पर्यावरण अनुकूल परिवहन (क्लीन ट्रांसपोर्टेशन), जिसमें शामिल है - सार्वजनिक परिवहन,
- (iii) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जिसमें शामिल हैं - ऐसा बुनियादी ढाँचा बनाने के प्रयास करना जिससे कि जलवायु परिवर्तन का असर कम से कम पड़े और जानकारी एकत्र करके प्रदान करने वाले सिस्टम (इन्फॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम) उपलब्ध कराने का प्रयास करना [जिनके जरिए जलवायु परिवर्तन पर लगातार नज़र रखी जा सके और समय रहते चेतावनी जारी की जा सके],
- (iv) ऊर्जा बचाना, जैसे ग्रीन बिल्डिंग,
- (v) सतत अपशिष्ट प्रबंधन (सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट), जिसमें शामिल हैं - रीसाइकल करना, अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलना, अपशिष्ट को सही ढंग से नष्ट आदि करना,
- (vi) भूमि का सतत इस्तेमाल, जिसमें शामिल हैं - वन-संरक्षण और खेती की जमीन का संरक्षण, वनरोपण,
- (vii) जैव-विविधता संरक्षण,
- (viii) प्रदूषण रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण [जिनमें शामिल हैं - वायु प्रदूषण को कम करना, ग्रीनहाउस गैस नियंत्रण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कदम उठाना (सॉइल रीमेडिएशन), अपशिष्ट का रोकथाम / अपशिष्ट को कम करना, अपशिष्ट को रीसाइकल करना और अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करते समय ऊर्जा की कम खपत सुनिश्चित करना और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि प्रदूषण भी कम से कम हो, आदि] और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भारत कूलिंग एक्शन प्लान के तहत आने वाले क्षेत्र,
- (ix) ऐसी वस्तुएँ बनाना जिनके यथासंभव प्रत्येक रूप का पुनः इस्तेमाल किया जा सके (सर्कुलर इकनॉमी अडैप्टेड प्रोडक्ट्स), ऐसी वस्तुओं के लिए उत्पादन की तकनीक लाना और प्रक्रियाएँ बनाना [जैसे ऐसी सामग्री, वस्तुएँ और ऐसे उत्पाद बनाना जिनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके और जिन्हें रीसाइकल किया जा सके, इनसे जुड़े उपकरण (सर्कुलर टूल्स) बनाना और इनसे जुड़ी सेवाएँ प्रदान करना] और/या पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना,
- (x) नील बॉण्ड (ब्लू बॉण्ड), जिनके जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल जल प्रबंधन करने [जिसमें शामिल हैं - पानी को स्वच्छ बनाना और पानी को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना (पानी को रीसाइकल करना)] और पर्यावरण के अनुकूल समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल करने [जैसे कि नौवहन (शिपिंग) इस तरह से करना, मछली इस तरह से पकड़ना तथा समुद्री खाद्य को इस तरह से निकालना और ले जाना जिससे कि पर्यावरण पर कोई आँच न आए, और समुद्र से ऊर्जा उत्पन्न करना और महासागर की मैपिंग करना]] हेतु किया जाए,
- (xi) पीत बॉण्ड (येलो बॉण्ड), जिनके जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाए और साथ ही उससे जुड़े सभी उद्योगों के लिए किया जाए,
- (xii) ट्रांजिशन बॉण्ड, जिनके जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुरूप ऐसी गतिविधियों के लिए किया जाए जो पर्यावरण के लिए और अधिक अनुकूल हो, और

स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का अर्थ है - पेरिस में हुए समझौते के तहत वर्ष 2015 में हुए दलों के 21वें सम्मेलन के दौरान और वर्ष 2021 में हुए दलों के 26वें सम्मेलन के

दौरान भारत द्वारा निर्धारित किए गए पर्यावरण संरक्षण संबंधी लक्ष्य (समय-समय पर यथा संशोधित)।

(xiii) कोई अन्य श्रेणी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।”

(2) विनियम 15 में,

(क) उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्-

“(6) निर्गमकर्ता (इश्युअर) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को परिपक्वता (मैच्युरिटी) से पहले वापस मंगाने (रीकॉल करने) या उनका मोचन (उन्हें रीडिम) करने के संबंध में, ऐसी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के सभी पात्र धारकों (होल्डर) और डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर न्यासियों) को, उस तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले एक सूचना (नोटिस) भेजेगा जिस तारीख को ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जा सके, और पात्र धारकों को ऐसी सूचना निम्नानुसार भेजी जाएगी:

(i) ऐसी सूचना की सॉफ्ट प्रति, उन पात्र धारकों को भिजवाई जाएगी, जिन्होंने या तो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के यहाँ या फिर किसी निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के यहाँ अपने ईमेल का पता (के पते) दर्ज कराया हो (कराए हों);

(ii) सूचना की कागज़ी प्रति उन पात्र धारकों को भिजवाई जाएगी, जिन्होंने न तो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के यहाँ और न ही किसी निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के यहाँ अपने ईमेल का पता (के पते) दर्ज कराया हो (कराए हों)।”

(ख) उप-विनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्-

“(7) निर्गमकर्ता उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) को भी ऐसी सूचना (नोटिस) की एक प्रति साथ ही साथ प्रदान करेगा जहाँ निर्गमकर्ता की असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, ताकि वह (वे) उसे अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सके (सकें)।”

(3) विनियम 18 में, उप-विनियम (6) के बाद और उप-विनियम (7) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम (6क) जोड़ा जाएगा-

“(6क) न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में एक प्रावधान होगा, जिसके अनुसार निर्गमकर्ता (इश्युअर) को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) के अनुसार डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर न्यासियों) द्वारा नामित किए गए व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करना होगा और ऐसा उसे जल्द से जल्द, किंतु डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर न्यासियों) की ओर से नामित किए जाने की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर, करना होगा:

परंतु यह कि जिस निर्गमकर्ता की ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध हों, वह 30 सितम्बर, 2023 तक अपने न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में संशोधन करके ऊपर दिए गए प्रावधान को शामिल करेगा।”

(4) विनियम 23 में, उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (6) जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“(6) यदि निर्गमकर्ता एक कंपनी हो, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके संगम-अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ असोशिएशन) के अनुसार उसके निदेशक मंडल से यह अपेक्षित हो कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) के अनुसार डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर न्यासियों) द्वारा नामित किए गए व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करे:

परंतु यह कि जिस निर्गमकर्ता की ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख तक की

स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध हों, वह 30 सितम्बर, 2023 तक अपने संगम-अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ असोशिएशन) में संशोधन करके इस प्रावधान का पालन करे:

परंतु यह और कि जिस निर्गमकर्ता ने अपनी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टेड डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में ब्याज अदा करने या मूलधन की रकम लौटाने में चूक की हो, वह डिबेंचर न्यासी द्वारा नामित किए गए व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल में एक निदेशक के रूप में, डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर न्यासियों) की ओर से नामित किए जाने की जानकारी प्राप्त होने की तारीख या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख, जो भी बाद की हो, से एक महीने के भीतर, नियुक्त करेगा।”

(5) विनियम 33 के बाद और विनियम 34 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"पैसा लगाए जाने (सब्सक्रिप्शन) की अवधि

33क. (1) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) को कम से कम तीन कार्य-दिवसों और अधिक से अधिक दस कार्य-दिवसों के लिए खुला रखा जाएगा।

(2) मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) या मुनाफे में बदलाव होने के मामले में, निर्गमकर्ता को प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में बताई गई बोली [निर्गम (इश्यू)] की अवधि कम से कम तीन कार्य-दिवसों के लिए बढ़ानी होगी:

परंतु यह कि बोली लगाने [निर्गम (इश्यू)] की कुल अवधि उतने दिनों से अधिक की नहीं होगी, जितनी उप-विनियम (1) में बताई गई है।

(3) अप्रत्याशित घटना घटने, बैंकों की हड़ताल होने या ऐसी अन्य परिस्थितियों के मामले में, निर्गमकर्ता, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएँ, प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में बताई गई बोली लगाने [निर्गम (इश्यू)] की अवधि को बढ़ा सकेगा:

परंतु यह कि बोली लगाने [निर्गम (इश्यू)] की कुल अवधि उतने दिनों से अधिक की नहीं होगी, जितनी उप-विनियम (1) में बताई गई है।”

(6) विनियम 50 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“(5) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज, बेमीयादी ऋण लिखतों (पर्पेचुअल डैट इंस्ट्रूमेंट), बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयरों (पर्पेचुअल नॉन-क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर) और ऐसे ही अन्य लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने के समय, उनके निर्गमकर्ताओं से इन विनियमों की अनुसूची-VI में निर्धारित की गई विनियामक फीस (रेग्युलेटरी फीस) एकत्र करेगा।”

(7) अनुसूची-VI के खंड 1 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्-

“इन विनियमों के अनुसार दाखिल किए गए प्रत्येक प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) के संबंध में बोर्ड को एक फीस (लौटाई न जाने वाली) अदा करनी होगी, जो निर्गम के आकार (इश्यू साइज़) की 0.00025% होगी, हालाँकि यह फीस कम से कम पच्चीस हजार रुपये की और अधिक से अधिक पचास लाख रुपये की होगी।”

बबीता रायडु, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./595/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, 9 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्:

- (i) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77, द्वारा,
- (ii) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102, द्वारा,

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd February, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/119.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021,

- (1) in regulation 2, in sub-regulation (1), clause (q) shall be substituted with the following, namely –

“(q) “Green debt security” means a debt security issued for raising funds subject to the conditions as may be specified by the Board from time to time, to be utilised for project(s) and/ or asset(s) falling under any of the following categories:

- (i) renewable and sustainable energy including wind, bioenergy, other sources of energy which use clean technology,
- (ii) clean transportation including mass/public transportation,
- (iii) climate change adaptation including efforts to make infrastructure more resilient to impacts of climate change and information support systems such as climate observation and early warning systems,
- (iv) energy efficiency including efficient and green buildings,
- (v) sustainable waste management including recycling, waste to energy, efficient disposal of wastage,
- (vi) sustainable land use including sustainable forestry and agriculture, afforestation,
- (vii) biodiversity conservation,
- (viii) pollution prevention and control (including reduction of air emissions, greenhouse gas control, soil remediation, waste prevention, waste reduction, waste recycling and energy efficient or emission efficient waste to energy) and sectors mentioned under the India Cooling Action Plan launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
- (ix) circular economy adapted products, production technologies and processes (such as the design and introduction of reusable, recyclable and refurbished materials, components and products, circular tools and services) and/or eco efficient products,

- (x) blue bonds which comprise of funds raised for sustainable water management including clean water and water recycling, and sustainable maritime sector including sustainable shipping, sustainable fishing, fully traceable sustainable seafood, ocean energy and ocean mapping,
 - (xi) yellow bonds which comprise of funds raised for solar energy generation and the upstream industries and downstream industries associated with it,
 - (xii) transition bonds which comprise of funds raised for transitioning to a more sustainable form of operations, in line with India's Intended Nationally Determined Contributions, and

Explanation: Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) refer to the climate targets determined by India under the Paris Agreement at the Conference of Parties 21 in 2015, and at the Conference of Parties 26 in 2021, as revised from time to time.
 - (xiii) any other category, as may be specified by the Board from time to time.”
- (2) in regulation 15,
- (a) sub-regulation (6) shall be substituted with the following, namely –

“(6) The issuer shall send a notice regarding recall or redemption of non-convertible securities, prior to maturity, to all the eligible holders of such securities and the debenture trustee(s), at least twenty-one days before the date from which such right is exercisable and the notice to the eligible holders shall be sent in the following manner:

 - (i) soft copy of such notice shall be sent to the eligible holders who have registered their email address(es) either with the listed entity or with any depository; and
 - (ii) hard copy of the notice shall be sent to the eligible holders who have not registered their email address(es) either with the listed entity or with any depository.”
 - (b) sub-regulation (7) shall be substituted with the following, namely –

“(7) The issuer shall simultaneously provide a copy of such notice to the stock exchange(s) where the non-convertible securities of the issuer are listed, for dissemination on its website.”
- (3) in regulation 18, after sub-regulation (6) and before sub-regulation (7), the following sub-regulation (6A) shall be inserted –
- “(6A) The trust deed shall contain a provision, mandating the issuer to appoint the person nominated by the debenture trustee(s) in terms of clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, as a director on its Board of Directors at the earliest and not later than one month from the date of receipt of nomination from the debenture trustee(s):
- Provided that an issuer whose debt securities are listed as on the date of publication of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 in the official gazette, shall amend the trust deed to incorporate the above provision on or before September 30, 2023.”
- (4) in regulation 23, after sub-regulation (5), the following sub-regulation (6) shall be inserted, namely –
- “(6) If an issuer is a company, it shall ensure that its Articles of Association require its Board of Directors to appoint the person nominated by the debenture trustee(s) in terms of clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993 as a director on its Board of Directors:
- Provided that the issuer whose debt securities are listed as on the date of publication of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 in the official gazette, shall amend its Articles of Association to comply with this provision, on or before September 30, 2023:
- Provided further that the issuer, which is in default of payment of interest or repayment of principal amount in respect of listed debt securities, shall appoint the person nominated by the debenture trustee(s) as a director on its Board of Directors, within one month from date of receipt of nomination from the debenture trustee or the date of publication of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 in the official gazette, whichever is later.”

- (5) after regulation 33 and before regulation 34, the following regulation shall be inserted, namely –

“Period of subscription

33A. (1) A public issue of debt securities or, non-convertible redeemable preference shares shall be kept open for a minimum of three working days and a maximum of ten working days.

(2) In case of a revision in the price band or yield, the issuer shall extend the bidding (issue) period disclosed in the offer document for a minimum period of three working days:

Provided that the overall bidding (issue) period shall not exceed the maximum number of days, as provided in sub-regulation (1).

(3) In case of force majeure, banking strike or similar circumstances, the issuer may, for reasons to be recorded in writing, extend the bidding (issue) period disclosed in the offer document:

Provided that the overall bidding (issue) period shall not exceed the maximum number of days, as provided in sub-regulation (1).”

- (6) in regulation 50, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely –

“(5) The designated stock exchange shall collect a regulatory fee as specified in Schedule VI to these regulations from an issuer of perpetual debt instruments, perpetual non-cumulative preference shares and similar instruments at the time of their listing.”

- (7) clause 1 of Schedule VI, shall be substituted with the following, namely –

“In respect of every draft offer document filed in terms of these regulations, a non-refundable fee of 0.00025% of issue size, subject to the minimum of twenty-five thousand rupees and maximum of fifty lakh rupees, shall be payable to the Board.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./595/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on August 9, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, were subsequently amended on:
 - (i) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.
 - (ii) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/102.